न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, रूद्रपुर, जिला–उधम सिंह नगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–04 / 2026

उत्तराखण्ड राज्य **बनाम रामकुमार आदि**

मुकदमा अपराध सं0–**29 / 2025**
धारा–**318(4), 61(2), 3(5) बी0एन0एस0**
एवं धारा–**66डी आई0टी0एक्ट**
थाना–**साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन**
कुमाउं परिक्षेत्र रूद्रपुर

दिनांक 16.01.2026

न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्तगण **राम कुमार पुत्र राजेन्द्र महतो एवं शुभम कुमार पुत्र संतोष कुमार** की ओर से विद्वान अधिवक्ता **सुश्री उपमा शर्मा** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण निर्दोष हैं। प्रार्थी / अभियुक्त ने उपरोक्त धाराओं को कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा किसी के साथ मिलकर कम्प्यूटर आदि इलैक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है और न ही किसी से धनराशि ली है। वादी मुकदमा एवं प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के बीच कभी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को किसी भी माध्यम से संपर्क किया है, और न ही वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण से किसी प्रकार की रकम की मांग की गई है और न ही अपने खाते से कोई रकम अहरित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो बैंक खाते दर्शाए गये हैं वह प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के नहीं है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाए गये बैंक खाते प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के हैं और न ही प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के नाम रजिस्टर्ड है और न ही प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने कभी अपने मोबाईल नंबरों व मोबाईल या लैपटॉप का इस्तेमाल किसी के साथ धोखाधड़ी करने में किया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा ने झूठा व गलत फंसाया हैं प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के पास कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई फर्जीबाड़ा नहीं किया गया है और न ही किसी वादी प्रार्थीगण / अभियुक्तगण जेल में रहकर मामले की पैरवी नहीं कर पायेगा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का जीवन अंधकारमय होने की आशंका है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण दिनांक 24.12.2025 से उपरोक्त मामले में जेल में बंद हैं तथा जेल में रहकर अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पायेगे। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अपनी जमानत करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय में सक्षम जमानती देने को तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के समक्ष प्रति तारीख हाजिर होता रहेगा। अतः अभियुक्त को ता–फैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

2. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का अपराध है, जमानत का घोर विरोध।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को प्रार्थना पत्र पर सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–318(4), 61(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 66डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग है। अभियोजन वृतान्तानुसार अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को आपराधिक षडंयत्र के तहत फर्जी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिकारी बनकर झांसे में लेकर दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 18.11.2025 के मध्य 23,55,451/–रूपये की ऑनलाईन धोखाधड़ी की गयी, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण उपरोक्त से 08 अदम मोबाईल फोन मय सिमकार्ड 27 विभिन्न बैंकों की पासबुक, 18 विभिन्न बैंको की चैकबुक, 30 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 05 आधार कार्ड व 01 पैनकार्ड को बरामद किया गया, साथ ही अभियुक्तगण गैर प्रान्त बिहार के निवासी है, तथा खानाबदोष प्रवृत्ति के हैं जमानत पर भागने के पूर्ण आशंका हैं और साक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का होना दर्शित है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कोई आधार नहीं है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **राम कुमार एवं शुभम कुमार** का यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

इस आदेश की प्रति सूचनार्थ संबंधित जेल प्राधिकारी को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(विवेक सिंह राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रूद्रपुर,
जिला ऊधम सिंह नगर।